## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email-dfo\_chamawat\_uta@yahoo.co.in दिनांक, चम्पावत

पत्रांक 3168 / 12-1

5-6-2020

सेवा में.

वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास में पड़ने वाले वन भूमि 8.94 हे० का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या <u>FP/uk/road/31090/2017</u>

संदर्भ:-

अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट की पत्र सं० 1008/लोहाघाट बाईपास दिनांक/ 02.06.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास में पड़ने वाले वन भूमि 11.800 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु नोडल कार्यालय देहरादून को अपने कार्यालय के पत्रांक 1008/लोहाघाट बाईपास/ दिनांक 02.06.2020 से प्रेषित कर दी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन सुभाग चम्पावत



पत्रांक 1000 /-यम्पान वार्डिपाद

दिनांक 02/06/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास में पड़ने वाले वनभूमि 8.94 हे० का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0 31090/2017

संदर्भ-

मुख्य अभियन्ता—क्षेत्रीय अधिकारी, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक RO/UK/Chardham/HPC dated 20.05.2019 एवं वन एवं जलवायुँ परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के फाईल नं. 10-2/2018-ROHQVoll.II dated 19.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि विषयक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाइन किये गए हैं। ऑनलाइन प्रस्तावों में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा यूजर एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये गए हैं जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का एवं एच०पी०सी० के दिशा निर्देश लिखे गए हैं। उक्त प्रस्ताव में मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, देहरादून के पत्र संख्या RO/UK/Chardham /HPC दिनांक 20—05—2019 एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या फाइल नं0 10—2/2018—ROHQVoll.II दिनांक 19—05—2020 के द्वारा यह कार्य started work की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया वर्ष 2014 में सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रारम्भ की गई थी। यह मार्ग लोठनिठिव को वर्ष 03/2015 में हस्तान्तरण हुआ। भारत सरकार, भूतल एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा उक्त कार्य की सर्वेक्षण एवं भूमि हस्तान्तरण, डीठपीठआर० गठित करने हेतु मैठ एमठसीठ कन्सल्टेंट प्राईवेट लिठ गाजियाबाद को वर्ष 2014 में नामित किया गया था। कन्सल्टेंट द्वारा वर्ष 2014 से इस मार्ग हेतु उपरोक्त कार्य गतिमान है। भूमि हस्तान्तरण का 3डीठ तक कार्य पूर्ण करने उपरान्त 3जीठ का कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ण कर भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है। नाप भूमि एवं परिसम्पत्तियों के मुआवजे का भुगतान हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वनभूमि प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:- संदर्भित पत्रों की छायाप्रति।

(एल.डी. मथेला) अधिशासी अभियन्ता, रा.मा. खण्ड, लो.नि.वि., लोहाघाट





No. RO/UK/Chardham/HPC Government of India

## Ministry of Road Transport & Highways (Chief Engineer-Regional Office)

46/1, Canal Road, Jakhan, Dehradun - 248001 (Uttarakhand)

Dated: - 20.05.2019

To,

Additional Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Secretariat, 4, Subhash Road, Dehradun - 248001, Uttarakhand.

Sub: - Clarification regarding consideration of the proposals related to Chardham Project under the Forest (Conservation) Act, 1980- Reg.

Ref.:- Letter No. 10-2/2018/-ROHQVoll.-II dated 19.05.2020

Sir,

As you are aware that Forest Clearance proposals for the Chardham Pariyojana have been pending for more than one and half years.

2. Now, MoEF&CC, Govt. of India vide letter No. 10-2/2018/-ROHQVoII.-II dated 19.05.2020 (copy enclosed) has advised Regional Office, MoEF&CC, Dehradun to consider the proposals of Chardham Project under FC Act. It is therefore requested that all the concerned may be directed to take necessary action so that all the pending proposals of Chardham Pariyojana may be forwarded to the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun at earliest.

Yours faithfully

(Saurabh Singh) Executive Engineer For Chief Engineer - RO, Dehradun

## Copy to:

- 1. The Secretary, Ministry of Road Transport & Highways, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi.
- 2. The Director General (Road Development) & Special Secretary, Ministry of Road Transport & Highways, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi.
- 3. The Chief Engineer (Zone-1), Ministry of Road Transport & Highways, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi.
- 4. The Secretary Environment and Forest, Govt. of Uttarakhand.
- 5. The Chief Engineer (NH & Bridges), PWD, Yamuna Colony, Dehradun.
- 6. The Chief Engineer (Project Shivalik), BRO, Rishikesh, Uttarakhand.
- 7. The Regional Office, NHIDCL, C24, Ajabpur Kalan, THDCC, Dehradun-248121 (Email-ID-ronhidcldehradun@gmail.com).

8. The GM, NHIDCL, Uttarkashi, Uttarakhand.

Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan, Aligani, Jorbagh Road, New Delhi - 110003 Dated: 19th May, 2020

Dy Director General of Forests (Central), Regional Office (Northern Central Region), MoEF&CC, Dehradun (Uttarakhand)

Sub: Clarification regarding consideration of the proposals related to Chardham Project under the Forest (Conservation) Act, 1980 - reg.

Sir.

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 13.11.2019 (Copy enclosed) conveying clarification on processing of the proposals under the Forest (Conservation) Act, 1980 related to Chardham Project. The High Powered Committee (HPC) vide its letter no. 26/X-3-19-15(104)/2018 dated 15.05.2020 (copy endorsed to you) has clarified their position with regard to grant of approval of proposals involving non-forestry use of forest land, which is self explanatory.

In view of the above clarification of HPC and recommendation made by them in their interim report submitted to MOEF&CC vide letter dated 13.02.2020 and their letter dated 15.05.2020 regarding identification of proposals to be considered 'started', Regional Office (Northern Zone) of MoEF&CC at Dehradun is advised to consider such proposals following due procedure under FC Act keeping in view additional measures as recommended by HPC.

> (Shawan Kumar Verma) Dy Inspector General of Forests

ACS FOR Mg.

Wan Kun

Ment Street, New Delhi 01

Acc, GoI

MOEF&CC, GoI

Please But up DRoft letter to

Acc for Mg.